

छत्तीसगढ़ शासन  
वित्त एवं योजना विभाग  
मंत्रालय

महानदी भवन - नया रायपुर

क्रमांक 38/एफ-1003117/वित्त/नियम/चार/2012, रायपुर, दिनांक 18 फरवरी, 2013  
प्रति,

शासन के समस्त विभाग  
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर  
समस्त विभागाध्यक्ष  
समस्त संभागायुक्त  
समस्त जिलाध्यक्ष  
छत्तीसगढ़ ।

**विषय:-छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम 2010 में संशोधन ।**  
**संदर्भ:वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 307/10/वित्त/नियम/चार/2010,**  
**दिनांक 01 अक्टूबर, 2010.**

-----


छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम, 2010 के नियम 38 के अनुसार महिला शासकीय कर्मचारियों को 135 दिन तक की अवधि के लिये प्रसूति अवकाश की पात्रता है । राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उक्त अवकाश की अवधि में वृद्धि की जाकर 180 दिन किया जाए । अवकाश की अन्य शर्तें यथावत रहेगी ।

2/ छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम, 2010 के नियम 38 में संशोधन की अधिसूचना संलग्न है । यह संशोधन राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशील होगा । यदि कोई महिला शासकीय सेवक इस नियम के लागू होने की तिथि में मातृत्व अवकाश पर है तो उसे भी मातृत्व अवकाश की बढ़ी हुई अवधि का लाभ प्राप्त होगा ।

3/ यह नियम छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के वेबसाईट  
<http://cgfinance.nic.in/> में 'Rules & Acts' खण्ड में उपलब्ध है ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार । (राजपत्र)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार



(एस.के.चक्रवर्ती)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

**प्रतिलिपि:-**

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर
14. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट [www.cgfinance.nic.in](http://www.cgfinance.nic.in) में अपलोड करने हेतु ।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(अवर सचिव)

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
वित्त एवं योजना विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन - नया रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 18 फरवरी, 2013

क्रमांक 40/एफ-1003117/वित्त/नियम/चार/2012 :: भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

नियम 38 के उप-नियम (1) में, अंक "135" के स्थान पर, अंक "180" प्रतिस्थापित किया जाये ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार



(एस.के.चक्रवर्ती)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

**Government of Chhattisgarh  
Finance & Planning Department  
Mantralaya,  
Mahanadi Bhavan, Naya Raipur**

**NOTIFICATION**

**Raipur, the 18 february, 2013**

No. 40 /F- 1003117/Finance/Rules/IV/2012 :: In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Civil Services (Leave) Rules, 2010, namely:-

**AMENDMENT**

**In the said rules,-**

In sub-Rule (1) of rule 38, for the figure "135" the figure "180" shall be substituted.

By order and in the name of the  
Governor of Chhattisgarh,



**(S.K. Chakraborty)**

Deputy Secretary  
Government of Chhattisgarh  
Finance Department